



संदर्भ:आईआरडीएआई/जीवन/परिपत्र/विविध/059/03/2022
Ref:IRDAI/Life/Cir/Misc/059/03/2022

दिनांक: 31 मार्च 2022
Date: 31st March, 2022

परिपत्र /Circular

विषय: प्रस्ताव फार्मों पर भौतिक हस्ताक्षर समाप्त करने की सुविधा का समय-विस्तार
Re: Extension of facilitation dispensing with physical signatures on the proposal forms

प्रति / To,
सभी जीवन बीमाकर्ता / All Life Insurers

प्रस्ताव फार्मों पर भौतिक हस्ताक्षर समाप्त करने के संबंध में जारी किये गये परिपत्र संदर्भ: आईआरडीएआई/जीवन/परिपत्र/विविध/274/11/2020 दिनांक 11 नवंबर 2020, आईआरडीएआई/जीवन/परिपत्र/विविध/055/03/2021 दिनांक 22 मार्च 2021 और आईआरडीएआई/जीवन/परिपत्र/विविध/253/09/2021 दिनांक 17 सितंबर 2021 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Reference is drawn to the circulars No. IRDAI/Life/Cir/Misc/274/11/2020 dated 11th November 2020, IRDAI/Life/Cir/Misc/055/03/2021 dated 22nd March 2021 and IRDAI/Life/Cir/Misc/253/09/2021 dated 17th September, 2021 on dispensing with physical signatures on proposal forms.

प्राधिकरण द्वारा अब प्रस्ताव फार्मों पर भौतिक हस्ताक्षर समाप्त करने और ओटीपी आधारित विधिमान्यता की अनुमति देने की सुविधा की समय-सीमा 30.09.2022 तक आगे और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ऊपर संदर्भित परिपत्रों के सभी अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

It has now been decided by the Authority to further extend the facilitation dispensing with physical signature on proposal forms and permitting OTP based validation, up to 30/09/2022. All other provisions of the above referred Circulars remain unchanged.

कृपया ध्यान दें कि आईआरडीएआई (ई-बीमा पालिसियों का निर्गम) विनियम, 2016 के विनियम 4(iii) के परंतुक के अंतर्गत भौतिक रूप में पालिसी दस्तावेजों के निर्गम से बीमाकर्ताओं को छूट देने की सुविधा की समय-सीमा आगे नहीं बढ़ाई गई है।

Please note that the facilitation exempting insurers from issuance of policy documents in physical form, granted under proviso to Regulation 4 (iii) of IRDAI (Issuance of e-insurance policies) Regulations, 2016, is no longer extended.

(वी जयंत कुमार / V. Jayanth Kumar)

मुख्य महाप्रबंधक (जीवन बीमा) / Chief General Manager (Life Insurance)